पत्रांक 17/म2-08/2015......236........./

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण)

प्रेषक,

आराधना पटनायक,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी,
उपायुक्त।

राँची, दिनांक ...06.../...11.../2015

विषय :- **केन्द्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना का नियमित एवं सफल संचालन के संबंध में।**

प्रसंग :- **विभागीय पत्रांक 223 दिनांक 30.10.15**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि आप सभी अवगत हैं कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 30 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित हो चुका है जिसकी प्रति विभागीय पत्रांक 223 दिनांक 30.10.15 के द्वारा आपको ई-मेल के माध्यम से निदेशित बिन्दुओं के अनुपालन हेतु उपलब्ध करा दी गई है। ज्ञातव्य हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केन्द्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना का एक दिन भी बाधित होना अनुमान्य नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 30 सितम्बर, 15 के प्रवृत्त होने के पश्चात् इस संबंध में निम्न निदेश दिये जाते हैं -

1. अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस यथा विनिर्दिष्ट पोषक मानकों वाला भोजन मुफ्त दिया जायेगा।
2. भोजन केवल स्कूल में परोसा जायेगा।
3. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन स्कूल प्रबंध समिति को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में बालकों को दिये जाने वाले भोजन की क्वालिटी, खाना पकाने के स्थान की साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखने की निगरानी करेगा।
4. **इस अधिनियम के अधीन विद्यालय में एक दिन भी मध्याह्न भोजन बन्द न हो, इसके लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाध्यापिका को सशक्त अधिकार होगा कि वह स्कूल में खाद्यान्न पकाने की लागत आदि अस्थायी तौर पर उपलब्ध न होने के मामले में मध्याह्न भोजन योजना जारी रखने के लिए स्कूल में उपलब्ध अन्य राशि का उपयोग कर सकेगा।**
5. यदि खाद्यान्न पकाने की लागत, ईंधन उपलब्ध न होने, या रसोईया के उपस्थित न होने या किसी अन्य कारण से विद्यालय में बच्चे को पका भोजन

Scanned by CamScanner

उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो इस अधिनियम के अधीन बच्चे को खाद्य सुरक्षा भत्ता अगली माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी –

क. बालक की पात्रता के अनुसार खाद्यान्न की मात्राः और

ख. राज्य में उस समय अभिभावी खाना पकाने की लागत।

ग. केन्द्रीकृत पाकशाला द्वारा भोजन की आपूर्ति न करने के मामले में, केन्द्रीकृत पाकशाला से उप–नियम (1) के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता वसूला जाएगाः

*परन्तु यदि कोई बालक उससे दिया गया भोजन किसी भी कारण से नहीं लेता है, तो राज्य सरकार अथवा केन्द्रीकृत पाकशालाओं से खाद्य सुरक्षा भत्ते का कोई दावा नहीं किया जायेगा।

*परन्तु यह और कि खाद्यान्न और भोजन के क्वालिटी के कारणों के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्रीकृत पाकशालाओं से कोई अथवा नहीं किया जाएगा।

6. चावल, राशि उपलब्ध होते हुए भी यदि स्कूल दिनों में लगातार तीन दिन तक अथवा एक माह में पांच दिन तक मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार (अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार व्यक्ति अथवा अधिकरण पर जिम्मेदारी नियत करने के लिए कार्रवाई करेगी।
7. सभी जिला शिक्षा अधीक्षक औसत उपस्थिति के अनुसार ही कुकिंग कॉस्ट एवं अतिरिक्त पोषाहार की राशि विद्यालय को आवंटित करें ताकि राशि के अभाव में मध्याह्न भोजन बन्द न हो, क्योंकि दैनिक अनुश्रवण से ज्ञात होता है कि किसी विद्यालय में छात्र संख्या के अनुपात में अधिक एवं किसी विद्यालय में छात्र संख्या के अनुपात में राशि कम आवंटित की जाती है।
8. इस हेतु अपने स्तर से शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों की बैठक आहूत कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2015 को कठोरता से लागू करने का निदेश दिया जाय एवं अपने स्तर से मध्याह्न भोजन बन्द होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 15 के कंडिका 9 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

उक्त के आलोक में स्पष्ट है कि –

- मध्याह्न भोजन एक दिन भी चावल/राशि के अभाव में बन्द न हो।
- कम से कम विद्यालय में दो माह का खाद्यान्न सदैव सुरक्षित हो इसके लिए अपने स्तर से एफ0सी0आई0/ एस0एफ0सी0 को भी समय पर खाद्यान्न उठाव हेतु निदेशित किया जाय।
- प्रत्येक तिमाही के खाद्यान्न का उठाव एक माह पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

- जिला शिक्षा अधीक्षक भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम को एक माह पूर्व चावल का आर0ओ0 (डिमाण्ड) उपलब्ध करायेंगे।
- जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर TELEPHONE BASED MONITORING SYSTEM की समीक्षा के लिए जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर एक–एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाय तथा कम से कम माह में एक बार अपने स्तर से भी समीक्षा करना सुनिश्चित किया जाय।
- जिला शिक्षा अधीक्षक माह में दो बार प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों की बैठक कर खाद्यान्न/राशि की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा करेंगे।
- सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विद्यालयवार राशि एवं खाद्यान्न की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए माह में दो बार जिला शिक्षा अधीक्षक को प्रतिवेदित करेंगे।
- सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बी0आर0पी0 एवं सी0आर0पी0 विद्यालयों का अनुश्रवण करते हुए कठोरतापूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2015 के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

5.11.15

(आराधना पटनायक)

सरकार के सचिव।

Scanned by CamScanner

पत्रांक 17/म2-08/2015......235....../

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण)

प्रेषक,

आराधना पटनायक,

सरकार के संचिव।

सेवा में,

महाप्रबंधक,

भारतीय खाद्य निगम, रांची,

उप महाप्रबंधक (क्षेत्रीय),

भारतीय खाद्य निगम,

रांची/ धनबाद।

राँची, दिनांक ...06./...11...

विषय :- **केन्द्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना का नियमित एवं सफल सं संबंध में।**

प्रसंग :- **विभागीय पत्रांक 223 दिनांक 30.10.15**

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में अंकित करना है कि राष् सुरक्षा अधिनियम 30 सितम्बर, 2015, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया ज जिसकी प्रति आपको भी विभागीय पत्रांक 223 दिनांक 30.10.15 के द्वारा माध्यम उपलब्ध करा दी गई है। प्रकाशित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 30 15 के अनुसार -

1. केन्द्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत प्रतिदिन बच्चों हुआ भोजन परोसा जाना है।
2. बच्चों को प्रतिदिन पका हुआ भोजन परोसा जाये इसके लि में कम से कम दो माह का खाद्यान्न सदैव उपलब्ध रहन होगा।
3. अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि जिला शिक्षा अ उपलब्ध कराये गये आर0ओ0/डिमाण्ड के आधार पर राज्य का उठाव करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के तहत् विद्यालयों

Scanned by CamScanner

39

कम से कम पांच दिन तक मध्याह्न भोजन उपलबध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार (अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार व्यक्ति अथवा अधिकरण पर जिम्मेदारी नियत करने के लिए कार्रवाई करने को बाध्य होगी।

अतः उक्त के आलोक में निदेश है कि खाद्यान्न के आभाव में मध्याह्न भोजन योजना बन्द न हो, इसके लिए खाद्यान्न आपूर्ति के संबंध में अपने स्तर से समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय चूंकि विद्यालयों में अधिकांशतः मध्याह्न भोजन योजना खाद्यान्न के अभाव में बन्द पाया जाता है।

5.11.15

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 17/म2-08/2015.235/ रांची, दिनांक .06./...11.../2015

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

5.11.15

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 17/म2-08/2015.235/ रांची, दिनांक .06./...11.../2015

प्रतिलिपि :- सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

5.11.15

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 17/म2-08/2015.235/ रांची, दिनांक .06./...11.../2015

प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, झारखण्ड/ सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.11.15

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।

Scanned by CamScanner